प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, पाली द्वितीय** थानाः– सीपीएस जयपुर **वर्ष 2022**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/22 दिनांक 24.03.2022

2. (1) अधिनियम **2018** धारा **7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस**
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
(3) अधिनियम ..... धाराये :–.....
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 458 समय 6:00 Pm
(ब) अपराध के घटने का दिन :– **बुधवार, दिनांक 23.03.2022, समय 08:08 पी0एम0**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **08.03.2022 समय 6:58 ए0एम0**

4. सूचना की किस्म :– टेलिफोनिक / **लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :–**चौकी से उत्तर पूर्व में करीब 210 कि0मी0 दूर।**
(ब) पता :– मानासर से कलेक्टर कार्यालय नागौर जाने वाली रोड़ पर जिला परिषद के साईड में सरस बूथ के पास मुख्य मार्ग पर।
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं

6. परिवादी / सूचनाकर्त्ता :–
श्री रमेशपाल पुत्र री अमरसिंह गॉव सलेमपुर बॉगर तहसील जंगाधरी यमुनानगर, पुलिस थाना सदर जंगाधरी, हरियाणा हाल किराये पर वाटर बॉक्स चौराहा, एमडीएच के पास, हाउसिंग बोर्ड, नागौर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मगाराम जाति नायक उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी निवासी नारावली पुलिस थाना अनुपगढ़ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर
2. श्री विरेन्द्र सांगवा पुत्र श्री रामकिशोर सांगवा जाति जाट उम्र 24 वर्ष, पैशा खेती, निवासी गांव–तरनाउ, तहसील जायल, जिला नागौर
3. श्री पूनाराम पुत्र श्री मोहनराम जाति जाट, निवासी मांझी पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर व अन्य।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–.....

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य **ट्रेप राशि 94,000 / –रू0 .**

11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

सेवामें,

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,
पाली।

विषय :– रिश्वत मांगने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे निवेदन है कि मै वर्तमान में ग्राम पंचायत पॉचला सीधा प.स. खीवसर जिला नागौर द्वारा करवाये जा रहे नरेगा कार्य मे सामग्री (सी.सी. ब्लाक, डस्ट, ईट आदि) सप्लाई का कार्य करता हूं तथा पांचला के संरपच श्री राजेन्द्रसिह मेरे मित्र भी है। ग्राम पंचायत पांचला के नरेगा कार्य की स्वीकृति आदि कार्य के लिए जिला परिषद नागौर के कार्य मै ही देखता हूं गत– 15–20 रोज पहले राजेन्द्रजी संरपच पांचला ने मुझे कहा कि सितम्बर 2021 से अब तक चार प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है। जिनमे से माह सितम्बर 2021 के प्रस्ताव के तीन काम ही स्वीकृत किए बाकी चारो प्रस्तावो कार्यो की जिला परिषद द्वारा स्वीकृति नही की गई है इसलिए आप सम्बधित अधिकारियो/कर्मचारियो से मिलकर स्वीकृत करवावो जिस पर मै श्री राजेन्द्र जी सरपंच ग्राम पचायत पाचला के कहने पर कल दिनांक 07–03–2022 को जिला परिषद नागौर के सम्बधित बाबु श्री सुरेश कुमार से मिला तो उसने प्रस्तावो, कार्यो की स्वीकृति हेतु सामग्री की राशि का 3 % प्रतिशत व टांको के प्रत्येक टाके के हजार रूपये के हिसाब से 20,000/– रूपये की अपने व XEN श्री रमजान अली खा के लिए रिश्वत की मांग की तथा कहा कि कल आफिस आ जाता मै प्रस्ताव देखकर आपको बता दूंगा कि आपको उक्त चारो प्रस्तावो की शेष स्वीकृतिया जारी करवाने हेतू 3 प्रतिशत के हिसाब से कितनी राशी देनी होगी सुरेश कुमार एक शातीर भ्रष्ट व बहुत ही चालाक है तथा बिना पैसे किसी का काम नहीं करता है तथा रिश्वत की मांग भी मुह से नही कर पेपर पर लिखकर या हाथ से इशारा कर मागता है। इसलिए उसके मागने पर मैने उस वक्त 15000/– रूपये दिए उक्त बात मैने श्री राजेन्द्र जी संरपच ग्राम पचायत पाचला से बात कर बताई है तथा मै उनके कहे अनुसार आज कार्यलय जिला परिषद नागौर मे जाकर जब सुरेश कुमार से मिलूगा तो श्री सुरेश कुमार ग्राम पंचायत पाचला के नरेगा कार्यो के प्रस्ताव देख कर रिश्वत राशि की मॉग अपने व XEN श्री रमजान अली के लिए करेगा। मै श्री सुरेश कुमार को जायत काम की ऐवज मे रिश्वत नही दे कर उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हू मेरी श्री सुरेश कुमार से कोई दुश्मनी या लेन–देन बकाया नही है।

अतः– रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावे।

दिनांक 08–03–2022

भवदीय
सही/–
रमेशपाल S/o अमरसिंह
गॉव सलेमपुर बॉगर तहसील
जगाधरी यमुनानगर
हरियाणा

एसडी कानाराम एसडी मोहम्मद शाहिद एसडी सीताराम नि.पु. एसडी महिपाल उ.अ.पु.

15.03.2022 15.03.2022 08.03.2022 08.03.2022

कार्यवाही पुलिस दिनांक 08.03.2022 समय 06.58 ए0एम0

इस समय परिवादी श्री रमेशपाल नें अपने मोबाईल नं. 87087–41946 से श्री महिपाल उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9414577001 पर कॉल कर बताया कि मै वर्तमान में ग्राम पंचायत पांचला सिद्धा जिला नागौर द्वारा करवाये जा रहे नरेगा कार्यो में सामग्री सप्लाई कार्य करता हूं तथा पांचला के सरपंच श्री राजेन्द्रसिंह मेरे मित्र भी हैं। ग्राम पंचायत पांचला के नरेगा कार्य की स्वीकृति आदि कार्य के लिये जिला परिषद नागौर के कार्य मैं ही देखता हूं। गत 15–20 रोज पहले राजेन्द्रजी सरपंच ने मुझे भेजे गये पैण्डिंग कार्यो के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु संबंधित अधिकारी से मिलने का कहने पर मै कल दिनांक 07.03.2022 को जिला परिषद नागौर के संबंधित बाबू श्री सुरेश कुमार से मिला तो उसने प्रस्तावें के कार्यो की स्वीकृति हेतु प्रस्तावों के सामग्री पेटे दी जाने वाली राशि का 3 प्रतिशत एवं टांको के प्रत्येक टांके के 1,000 रूपये के हिसाब से कुल 2,00,000 रूपये अपने स्वंय एवं एक्सईएन श्री रमजान अली खां के लिये रिश्वत की मांग की तथा कल मुझे अपने कार्यालय बुलाया है एवं कहा है कि कल प्रस्ताव देखकर के 3 प्रतिशत से बनने वाली सटीक राशि बता दूंगा। मैं सुरेश कुमार को जायज काम की ऐवज में

रिश्वत राशि नहीं देकर उसे रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। जिस पर परिवादी श्री रमेशपाल को पाली एसीबी कार्यालय आकर रिपोर्ट देने को कहा गया, मगर परिवादी ने अपने घरेलू आवश्यक कार्य का हवाला देकर पाली आने में असमर्थता जताई। जिस पर परिवादी को कहा गया कि हम पाली से रवाना हो रहे है आप अपनी रिपोर्ट लेकर तैयार रहना हम नागौर पहुंच कर आपसे सम्पर्क कर नियत स्थान पर बुलाने पर उपस्थित आवें। परिवादी की शिकायत पर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। साथ ही परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत की। तत्पश्चात् श्री उप अधीक्षक पुलिस हमराह मन् सीताराम निरीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर हैड कानि. नं 56 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर ब्यूरो चौकी पाली से नागौर के लिये जरिये निजी वाहन रवाना होकर नागौर के बीकानेर बाईपास पर पहुंचा। परिवादी के उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर संपर्क कर उपस्थिति ज्ञात करने पर परिवादी श्री रमेशपाल नागौर बस स्टेण्ड के पास ही उपस्थित होना बताया। तत्पश्चात् श्री उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को नागौर के बीकानेर बाईपास पर नायरा पेट्रोल पम्प के पास एकान्त स्थान नियत कर बुलाया गया। परिवादी उपस्थित आया। जिस पर श्री उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उनको अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर उन्होंने अपना परिचय श्री रमेशपाल पुत्र श्री अमरसिंह गांव सलेमपुर बॉगर तहसील जंगाधरी यमुनानगर पुलिस थाना सदर जंगाधरी राज्य हरियाणा एवं हाल किराये पर वाटर बॉक्स चौराहा, एमडीएच के पास, हाउसिंग बोर्ड, नागौर होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रमेशपाल नें एक लिखित रिपोर्ट स्वयं हस्ताक्षरित मय अपना पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत पांचला सिद्धा द्वारा नरेगा कार्यो के भेजे गये चार प्रस्तावों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की। जिसका अवलोकन श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस द्वारा करने पर परिवादी श्री रमेशपाल द्वारा पूर्व में दूरभाष पर बताये तथ्य ही शिकायत में अंकित होना पाये गये। पूछने पर परिवादी श्री रमेशपाल नें रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया। दरियाफ्त पर पूछने पर परिवादी नें उक्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्य ही बताते हुए बताया कि ग्राम पंचायत पांचला के नरेगा कार्य की स्वीकृति आदि कार्य के लिये जिला परिषद नागौर के कार्य मैं ही देखता हूं। गत 15–20 रोज पहले राजेन्द्रजी सरपंच ने मुझे पंचायत द्वारा भेजे गये कार्यो के 04 प्रस्तावों की पैण्डिंग स्वीकृति हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से मिलने का कहने पर मै कल दिनांक 07.03.2022 को जिला परिषद नागौर के संबंधित बाबू श्री सुरेश कुमार से मिला तो उसने प्रस्तावो के कार्यो की स्वीकृति हेतु प्रस्तावों के सामग्री पेटे दी जाने वाली राशि का 3 प्रतिशत एवं टांको के प्रत्येक टांके के 1,000 रूपये के हिसाब से कुल 2,00,000 रूपये अपने स्वंय एवं एक्सईएन श्री रमजान अली खां के लिये रिश्वत की मांग की तथा उस वक्त कुछ राशि देने का कहने पर मैने मेरे पास उस वक्त 15,000 रूपये थे जो श्री सुरेश कुमार बाबू को मांगने पर दिये क्योंकि सुरेश कुमार बहुत ही शातिर एवं भ्रष्ट किस्म का कर्मचारी है तथा बिना पैसे कोई काम नहीं करता है। श्री सुरेश कुमार ने कल मुझे अपने कार्यालय में पुनः बुलाया है एवं कहा है कि कल प्रस्ताव देखकर के 3 प्रतिशत से बनने वाली सटीक राशि बता दूंगा। जिस पर मैंने जरिये मोबाईल उक्त बात श्री राजेन्द्रसिंह सरपंच पांचला सिद्धा को बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने जायज कार्य के पेटे रिश्वत राशि नहीं देनी है तथा रिश्वत मांगने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवानी है मगर मैं गांव के सरपंच के पद पर कार्यरत होकर जनप्रतिनिधि होने के कारण स्वंय उक्त रिश्वत मांगने वाले बाबू के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करवाकर आपको अधिकृत करता हूं तथा साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि मेरा नाम जनता में उजागर नहीं हो इसलिये आप गोपनीय रूप से उक्त बाबू के विरूद्ध एसीबी में कार्यवाही करवाकर पकडवावें। तथा बाबू को रिश्वत में दी जाने वाली राशि मैं आपको दे दूंगा मगर अपने प्रस्तावों के कार्यो की स्वीकृति करवाने के बाद उक्त कार्यवाही करवाना तथा कुछ राशि कम करवाने हेतु अनुरोध करना। वगैरा रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर श्री उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि के परिपेक्ष्य में मांग सत्यापन एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री रमेशपाल की उक्त मूल शिकायत आदि सुपुर्द कर आवश्यक निर्देशित किया गया। जिस पर मन् सीताराम निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री रमेशपाल की उक्त शिकायत का अवलोकन कर परिवादी श्री रमेशपाल से आवश्यक पूछताछ की गई तो परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में अंकित तथ्य एवं उप अधीक्षक पुलिस को बताये गये तथ्य ही बताये। मामला प्रथम दृष्ट्या भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुऐ रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक

पुलिस द्वारा हमरा श्री रामकिशोर हैड कानि. व परिवादी श्री रमेशपाल का आपस में परस्पर परिचय करवाया जाकर ब्यूरो चौकी से साथ लाये डिजीटल वॉयस रिकार्डर संचालन की प्रक्रिया दोनों को समझाई जाकर एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में कोई वार्ता रिकॉर्डिंग नहीं होना सुनिश्चित कर श्री रामकिशोर हैड कानि. को मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर के आरोपी द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर परिवादी के साथ जरिये परिवादी के निजी वाहन से जिला परिषद नागौर के लिये रवाना किया गया। तत्पचात् मन् निरीक्षक पुलिस वही नायरा पेट्रोल पम्प के पास निजी वाहन में बैठकर परिवादी व रामकिशोर हैड कानि. का इंतजार किया। करीब घंटे भर पश्चात् श्री रामकिशोर हैड कानि. व परिवादी श्री रमेशपाल रिश्वति राशि मांग सत्यापन में गये हुऐ पुनः मेरे समक्ष उपस्थित आये तथा रामकिशोर हैड कानि. ने स्वीच ऑफशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैं व रामकिशोर यहां से रवाना होकर जिला परिषद के पास साईड वाली गली में पहूंचे जहां पर श्री रामकिशोर ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर साथ लाये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का स्वीच ऑन कर सुपुर्द कर श्री सुरेश कुमार बाबू से रिश्वति राशि के बारे में वार्ता कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन करने हेतु रवाना किया। जिस पर मैं जिला परिषद में श्री सुरेश कुमार के कार्यालय कक्ष में गया जहां सुरेश कुमार उपस्थित मिला जिनसे ग्राम पांचला सिद्धा के नरेगा कार्यो के स्वीकृति में पैण्डिंग पड़े प्रस्तावों के बारे में पूछा तो उन्होंने उक्त प्रस्ताव ढूंढकर बताया कि इसमें से माह सितम्बर 2021 के प्रस्ताव कमांक 5750 दिनांक 02.09.2021 के तीन कार्यो की स्वीकृति हो चुकी है शेष स्वीकृतियां मैं स्वीकृत करवा दूंगा एवं मुझे एक तरफ खड़ा हाने का ईशारा किया जिस पर मैं उनके कार्यालय कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कुछ समय पश्चात श्री सुरेश कुमार के पास कोई अन्य व्यक्ति नहीं होने पर उसने मुझे पुनः अपने पास बुलाया तथा कहा कि कोई बात नहीं आप यही आ जाओ। जिस पर मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत पांचला के 04 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पैण्डिंग पड़े है जिनकी स्वीकृति दिलाने हेतु प्रस्तावों में अंकित सामग्री पेटे दिये जाने वाली राशि का 3 प्रतिशत के हिसाब से राशि मुझे व एक्सईएन साहब के लिये देनी पड़ेगी तब मैंने कहा कि 3 प्रतिशत बहुत ज्यादा है तो उन्होंने कहा कि यदि आप सीओ साहब की राशि 1 प्रतिशत के हिसाब से सीधे सीओ साहब को देते हो तो 2 प्रतिशत मेरे व एक्सईएन साहब के लिये देने होंगे। तब मैंने कहा कि 2 प्रतिशत के हिसाब से कितनी राशि होती है तो उन्होंने प्रस्तावों में सामग्री पेटे अंकित राशि को जोड़कर बताया कि 2 प्रतिशत के हिसाब से एवं प्रति टांका 1000 रूपये के हिसाब से 20 टांको के 20,000 रूपये तथा कुल मिलाकर लगभग 2,00,000 रूपये लगेंगे। तब मैंने उक्त राशि ज्यादा होना एवं कम करने का निवेदन करने पर श्री सुरेश कुमार ने 1,90,000 रूपये लेने की सहमति दी साथ ही कहा कि मैं आपके प्रस्तावें की शीघ्र ही एफ.एस. जारी करवा रहा हूं एवं एफ.एस. जारी होते ही आप को बता दूंगा। आप पैसे लेकर आ जाना, जिस पर मैं उक्त एफ.एस. को ऑनलाईन चढ़ा दूंगा। साथ ही परिवादी ने बताया कि मैं श्री सुरेश कुमार बाबू से उक्त वार्ता होने के बाद श्री रामकिशोर हैड कानि. से जिला परिषद के पास ही स्थित गली में आकर मिला जिस पर रामकिशोर हैड कानि ने मेरे से डिजीटल वायस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसका स्वीच ऑफ किया एवं इनके द्वारा पूछने पर मैंने उपरोक्त हालात इनको भी बताये। जिस पर श्री रामकिशोर ने भी परिवादी के उक्त कथनों की ताईद की जिस पर डिजीटल वायस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो परिवादी के उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होकर आरोपी श्री सुरेश कुमार द्वारा रिश्वत राशि अपने व एक्सईएन श्री रमजान अली खां के लिये मांग करना पाया गया। जिस पर उक्त डिजीटल वायस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री रमेशपाल से एक्सईएन श्री रमजान अली खां से वार्ता कर उनसे रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु कहा गया। मगर परिवादी ने कहा कि एक्सईएन श्री रमजान अली खां मुझे नहीं जानता हैं तथा ना ही वो सीधे पैसो की बात करता है। एक्सईएन श्री रमजान अली खां श्री सुरेश कुमार के मार्फत ही रिश्वति राशि का लेन देन करता है। तथा साथ ही परिवादी ने बताया कि सीओ साहब मेरे जानकार है तथा मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूं। वह मेरे से रिश्वति राशि के पैसे नहीं मांगेगे तथा ना ही प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात् श्री रमेशपाल को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत दी जाकर कहा गया कि सरपंच श्री राजेन्द्रसिंह से मिलकर आरोपी श्री सुरेश कुमार बाबू द्वारा तय की गई रिश्वति राशि की व्यवस्था कर आरोपी श्री सुरेश कुमार द्वारा एफ.एस. जारी करने की जानकारी हासिल कर एफ.एस. जारी होने पर तुरंत मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये

मोबाईल अवगत करावें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें एवं बाद हिदायत परिवादी को रूखसत कर रवाना होकर ब्यूरो चौकी पाली पहुंचे। दिनांक 15.03.2022 को दोपहर में परिवादी श्री रमेशपाल के मोबाईल नं 8708741946 से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नं 7976504327 ने फोन कर बताया कि मैं कल दिनांक 14.03.2022 को श्री सुरेश कुमार से उनके कार्यालय में जाकर मेरे कार्य की एफ.एस. जारी होने की जानकारी के लिये मिला तो उसने कहा कि परसो दिनांक 16.03.2022 को आपके कार्यो की एफ.एस. आवश्यक रूप से जारी हो जायेगी तथा कल दिनांक 15.03.2022 को भी जारी हो सकती है। तथा साथ ही कहा कि श्री सुरेश कुमार ने मुझे बताया कि एफ.एस. जारी होते ही मैं आपको फोन कर बता दूंगा या आप फोन कर जानकारी कर लेना तथा मेरा काम करके जिला परिषद आ जाना। इस प्रकार आरोपी श्री सुरेश कुमार एफ.एस. जारी होने पर आज दिनांक 15.03.2022 को या कल दिनांक 16.03.2022 को मुझे तय की गई रिश्वति राशि लेकर बुला सकता है जिस पर परिवादी को हिदायत की गई कि उक्त तय की गई राशि सरपंच पांचला सिद्धा श्री राजेन्द्रसिंह से लेकर नागौर में उपस्थित मिले। तत्पश्चात् उपरोक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली से दो कार्मिको की उपस्थिति प्राप्त की गई। जिन्हें मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछने पर उन्होंने अपना परिचय सर्व श्री कानाराम पुत्र श्री वकताराम जाति पटेल उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी निवासी गांव बल्दों की ढ़ाणी, पोस्ट केरला, पुलिस थाना सदर, जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत रूपावास, पाली जिला पाली व श्री मोहम्मद शाहिद पुत्र श्री नजर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 31 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 94 नाडी मोहल्ला, पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत गिरादड़ा जागीर जिला पाली के रूप में दिया। जिन्हें बुलाने में मन्तव्य से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मालखाना प्रभारी श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक नं 100 को आवश्यक हिदायत दी गई की मालखाना में रखी फिनोफथिलीन पाउडर के डिब्बे में से कुछ पाउडर निकालकर अपने पास कागज की पुड़िया में सुरक्षित रखे एवं तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री कानाराम व मोहम्मद शाहिद, ब्यूरो जाब्ता के सदस्य श्री रामकिशोर मुख्य आरक्षक नं. 56, श्री चम्पालाल हैड कानि नं 100 मय फिनोफथिलीन पाउडर की पुड़िया, श्री सोहनलाल कानि. 497, श्री दयालसिंह कानि. 326 के जरिये प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु नागोर के लिये रवाना हुऐ। वक्त 05:22 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के नागौर बीकानेर हाईवे पर पेट्रोल पम्प के पास एक खाने के ढ़ाबे पर पहुंचकर गाड़ी को एक तरफ खड़ा कर परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर निश्चित स्थान पर बुलाया गया। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री रमेशपाल नागौर बीकानेर हाईवे पर निश्चित किये स्थान पर उपस्थित आया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी व साथ आये दोनों कार्मिकों का आपस में परस्पर परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 08.03.2022 को प्रस्तुत शिकायत को दोनों कार्मिकों को पढ़ाई गई एवं दिनांक 08.03.2022 को ही परिवादी व श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक के मध्य वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन हुई वार्ता जो ब्यूरों के डिजीटल वायस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है के मुख्य अंश सुनाये गये। दोनों कार्मिकों ने संतुष्टि जाहिर करते हुऐं अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की। परिवादी श्री रमेशपाल ने बताया कि श्री सुरेश कुमार को दी जाने वाली रिश्वति राशि 1,90,000 रूपये मैं सरपंच साहब से प्राप्त कर अपने साथ लेकर आया हूं। मगर श्री सुरेश कुमार ने मुझे कल दिनांक 14.03.2022 को मिलने पर बताया कि आपकी एफ.एस. दिनांक 16.03.2022 को जारी हो सकती है, इससे पूर्व जारी होने पर मैं फोन करके बता दूंगा। लेकिन सुरेश कुमार का मेरे पास फोन नहीं आया है इसलिये उससे कल दिनांक 16.03.2022 को ही मिलकर रिश्वति राशि देना उचित रहेगा। जिस पर अग्रिम कार्यवाही दिनांक 16.03.2022 को करने का निर्णय कर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर दिनांक 16.03.2022 को प्रातः 06:00 एएम पर उपस्थित आने के लिये पाबंद किया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के उक्त ढ़ाबे पर ही रात्रि विश्राम किया। दिनांक 16.03.2022 को पूर्व पाबंदशुदा परिवादी श्री रमेशपाल मेरे समक्ष उपस्थित आया एवं बताया कि श्री सुरेश कुमार को दी जाने वाली रिश्वति राशि साथ लेकर आया हूं। जिस पर परिवादी ने 500–500 रूपये के 380 नोट कुल 1,90,000/– रूपये मुझ सीताराम निरीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द सुपुर्दगी एवं पेशकशी रिश्वति राशि में अंकित करवाये गये तत्पश्चात् उक्त ढ़ाबे पर एकान्त में गाड़ी की सीट पर अखबार बिछाकर ब्यूरो चौकी के मालखाना से श्री चम्पालाल हैड कानि. 100 द्वारा साथ

लाये फिनॉफ्थलीन पाउडर पुड़िया में से पाउडर निकलवाकर उपरोक्त नोटों की 04 गड्डियों पर चारो ओर हैड कानि. चम्पालाल से ही हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रमेशपाल की जामा तलाशी गवाह श्री कानाराम से लिवाई गई। परिवादी श्री रमेशपाल के पास कोई राशि अथवा दस्तावेज नहीं रहने देते हुए परिवादी का मोबाईल फोन रहने दिया गया। तत्पश्चात् दैनिक भास्कर के एक पृष्ठ के दोनों तरफ श्री चम्पालाल हैड कानि. से हल्का हल्का फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त फिनॉफ्थलीन पाउडरयुक्त नोटो की गड्डियो को श्री चम्पालाल हैड कानि. से उक्त पैपर में लिपटाई जाकर रबड़ में लपेटा गया। फिर चम्पालाल से ही उक्त पैपर में लिपटी हुई नोटों की गड्डियो को परिवादी की ऑल्टो गाड़ी के आगे के डेसबोर्ड को गवाहान से खाली होना सुनिश्चित करवाकर उक्त पैपर में लिपटी हुई राशि डेसबोर्ड में रखवाई गई। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेन–देन के उपरान्त अपने सिर पर दो–तीन बार हाथ फिराकर या अपने मोबाईल फोन से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। परिवादी श्री रमेशपाल को यह भी हिदायत दी गई कि रास्ते में इन पैपर में लिपटी हुई नोटों की गड्डियों व इस पैपर को हाथ नहीं लगावें तथा आरोपी श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही देवे तथा इस बात का भी ध्यान रखे कि वह रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् किस स्थान पर रखता है अथवा छुपाता हैं। इसके बाद एक डिस्पोजल बड़े साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार किया गया तो उक्त घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उक्त घोल में श्री चम्पालाल हैड कानि. के दाहिने हाथ की अगुंलियां डुबोकर धुलवायी गयी तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। गवाहान एवं परिवादी को फिनॉफ्थिलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर का दृष्टांत देकर समझाईश की गई। उक्त घोल को बाहर फिकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की पुड़िया व जिस अखबार पर रखकर नोटो की गड्डियों पर फिनॉफिथलीन पाउडर लगाया गया उस अखबार, घोल तैयार करने में प्रयुक्त डिस्पोजेबल गिलास व चम्मच तथा फिनॉफ्थिलीन पाउडर की पुड़िया को श्री चम्पालाल हैड कानि. से जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री चम्पालाल हैड कानि. के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये एवं ट्रेप कार्यवाही के उपयोग में आने वाले उपकरण अन्य गिलास, चम्मच इत्यादि को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री चम्पालाल हैड कानि. को हिदायत दी गई कि हाथ धोवन की कार्यवाही होने तक गाड़ी में ही बैठे रहे तथा किसी से हाथ नहीं मिलाये। तत्पश्चात् कार्यालय के लेपटॉप एवं प्रिन्टर को ढ़ाबे पर स्थित लाईट कनैक्शन से जोड़कर मुर्तिबा फर्द की दो प्रतियों में प्रिन्ट निकाला गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी रमेशपाल ने बताया कि आरोपी सुरेश कुमार ने मुझे कह रखा है कि आप मेरे मोबाईल पर व्हॉट्सएव कॉल से वार्ता कर सकते हो तथा आज वार्ता करने का कह रखा है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान परिवादी के मोबाईल नं 7878649552 से आरोपी सुरेश कुमार के मोबाईल नं 8107078777 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर व्हॉट्सएप वॉयस कॉल करवाया गया। मगर आरोपी सुरेश कुमार द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। उसके कुछ समय पश्चात आरोपी श्री सुरेश कुमार के मोबाईल नं 8107078777 से परिवादी के मोबाईल नं 7878649552 पर व्हॉट्सएप वॉयस कॉल आया। परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को ब्यूरों के डिजीटल वायस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से कहा गया कि आप चिन्ता मत करो आपका काम हो जायेगा, होली के बाद मिलना। जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने के कारण श्री चम्पालाल हैड कानि से परिवादी श्री रमेशपाल की ऑल्टो गाड़ी के आगे के डैसबोर्ड में पैपर में लपेटकर रखी गई फिनॉफथिलीन युक्त रिश्वति राशि 1,90,000 रूपये पुनः निकलवाई जाकर उनके पास आवश्यक हिदायत से साथ सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात् रिश्वति राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वति राशि लेनदेन से पूर्व हुई वार्ताऐं जो ब्यूरो के डिजीटल वायस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है की पृथक पृथक फर्द ट्रांन्सक्रीप्टे नागौर बीकानेर हाईवे, पेट्रोल पम्प के पास स्थित खाने के ढ़ाबे के पास एकांत स्थान पर बैठकर तैयार करने का निर्णय लिया गया एवं मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान व परिवादी श्री रमेशपाल की उपस्थिति में दिनांक 08.03.2022 को परिवादी रमेशपाल व आरोपी सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक के मध्य वक्त रिश्वति राशि मांग रूबरू हुई वार्ता जो डिजीटल वायस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को लेपटॉप के माध्यम से सुन–सुनकर,

समझ–समझकर, शब्द–बशब्द फर्द रिश्वति राशि मांग सत्यापन मुर्तिब की गई। उक्त वार्ताओं की लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार की जाकर एक सीडी को मूल मानते हुऐं सील्ड मोहर किया गया। दूसरी सीडी को डब मानते हुऐं खुली हालत में रखी गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी सुरेश कुमार की आवाज एवं परिवादी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री रमेशपाल द्वारा की गई। इसी प्रकार मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के वक्त रिश्वति राशि लेनदेन से पूर्व आज दिनांक 16.03.2022 को परिवादी रमेशपाल व आरोपी सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई टेलिफोनिक वार्ता जो ब्यूरों के डिजीटल वायस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को लेपटॉप के माध्यम से सुन–सुनकर, समझ–समझकर, शब्द–बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वति राशि लेन देन से पूर्व मुर्तिब की गई। उक्त वार्ताओं की लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार की जाकर एक सीडी को मूल मानते हुऐं सील्ड मोहर किया गया। दूसरी सीडी को डब मानते हुऐं खुली हालत में रखी गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी सुरेश कुमार की आवाज एवं परिवादी स्वंय की आवाज की पहचान परिवादी श्री रमेशपाल द्वारा की गई। तत्पश्चात् साथ लाये प्रिन्टर को ढ़ाबे के विद्युत पाईन्ट से कनेक्ट कर पृथक पृथक उपरोक्त दोनों फर्द ट्रान्सिक्रप्टो के दो–दो प्रिन्ट निकाले गये एवं दोनों फर्दो की दो दो प्रतियों एवं दोनों शिल्डशुदा मूल सीडीयों पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन बाद होली किये जाने का निर्णय लिया गया एवं परिवादी श्री रमेशपाल को हिदायत दी गई कि आरोपी सुरेश कुमार होली से पहले अगर संपर्क कर रिश्वति राशि लेने हेतु वार्ता करता है तो तुरंत मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत करावें। तत्पश्चात् परिवादी को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस हमरा श्री चम्पालाल हैड कानि. मय रिश्वति राशि, दोनों स्वतंत्र गवाह, मय शेष ब्यूरो जाब्ता के जरिये प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, 2 सील्डशुदा मूल सीडी व 2 डब सीडी खुली हालत में तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर आदि लेकर नागौर से रवाना होकर ब्यूरों चौकी पाली द्वितीय पहूंचे तथा दोनों गवाहान को गोपनीयता की हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् मालखाना प्रभारी श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक के पास पैपर में लपेटकर सुरक्षित रखवाई गई रिश्वति राशि को मालखाना खुलवाकर मालखाना के डबल लॉक में एक कॉलम में सुरक्षित रखवाई गई तथा अन्य मालखाना आईटम दो शिल्डशुदा मूल सीडी एवं दो डब्ड सीडी सुरक्षित संभलाई जाकर जमा मालखाना करवाई गई। दिनांक 23.03.2022 को वक्त **01:24** पीएम परिवादी श्री रमेशपाल का मन् निरीक्षक पुलिस के पास फोन आया तथा बताया कि मुझे मेरे सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि ग्राम पांचला सिद्धा के नरेगा कार्यो के पैण्डिंग प्रस्तावों की वित्तिय स्वीकृतियां जारी हो चुकी है तथा जब में आज श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक से उक्त वित्तिय स्वीकृतियां लेने जाउंगा तो श्री सुरेश कुमार मेरे से पूर्व में वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन तय की गई राशि मांगकर देने को कहेगा। जिस पर परिवादी को हिदायत की गई कि आप जब तक मन् निरीक्षक पुलिस मय मौतबिर एवं जाब्ता के नागौर नहीं पहुंचु तब तक श्री सुरेश कुमार से नहीं मिले तथा ना ही कोई टेलिफोनिक आदि संपर्क करें एवं समस्त हालात श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस को निवेदन किये गये। तत्पश्चात् प्रकरण के दोनों गवाहान सर्वश्री कानाराम व मोहम्मद शाहिद को सूचित कर शीघ्र ब्यूरो चौकी पाली द्वितीय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। वक्त 01.50 पीएम पर पाबंदशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान सर्वश्री कानाराम व मोहम्मद शाहिद उपस्थित आने पर मालाखाना प्रभारी श्री सोहनलाल कानि. से मालखाना के डबल लॉक में पूर्व में पैपर में लपेटकर चम्पालाल मुख्य आरक्षक से रखवाई गई फिनाफिथलीन युक्त राशि निकलवाई जाकर आवश्यक हिदायत के साथ सोहनलाल के पास सुरक्षित रखी गई। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र मौतबिरान श्री कानाराम कनिष्ठ सहायक व मोहम्मद शाहिद कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता के सदस्य श्री रामकिशोर मुख्य आरक्षक नं. 56, श्री दादूदान कानि 481, श्री दयालसिंह कानि. 326 के जरिये प्राईवेट वाहन मय मालखाना प्रभारी श्री सोहनलाल कानि. मय रिश्वति राशि मय ट्रेप बॉक्स तथा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप मय प्रिन्टर सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु नागोर के लिये रवाना हुऐं। वक्त 05.15 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा नागोर से पहले तय किये गये गोपनीय स्थान पर पहुंचे एवं परिवादी श्री रमेशपाल से जरिये टेलिफोन संपर्क कर गोपनीय स्थान पर बुलाया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री रमेशपाल उन्हें बताये गये गोपनीय स्थान पर मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया एवं बताया कि मैंने मेरे स्तर पर पता किया तो ज्ञात हुआ है कि श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक जिला परिषद नागौर में स्थित अपने कार्यालय

कक्ष में ही बैठा है जिस पर श्री सोहनलाल कानि द्वारा पैपर में लपेटकर लाई गई रिश्वति राशि से उक्त पैपर को हटा कर राशि को श्री सोहनलाल से ही परिवादी श्री रमेशपाल की ऑल्टो गाड़ी के डैस बोर्ड का खाली होना सुनिश्चित कर उसमें रखवाई गई एवं मुनासिफ हिदायत दी गई की उक्त राशि आरोपी सुरेश कुमार द्वारा मांगने पर ही डैस बोर्ड से निकालकर उन्हें देवे तथा इससे पूर्व उक्त राशि के हाथ नहीं लगावें तथा यदि अभिवादन की जरूरत पड़े तो दूर से हाथ जोड़कर अभिवादन करें। श्री सोहनलाल कानि. के हाथ दो बार साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाकर हिदायत दी गई की सुरेश कुमार के कार्यालय कक्ष से पूर्व उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का स्वीच ऑन कर अपने पास गोपनीय स्थान पर सुरक्षित रखे एवं लेन देन की वार्ता को इसमें रिकॉर्ड करें। साथ ही मालखाना प्रभारी सोहनलाल को हिदायत दी गई की हाथ धोवन की कार्यवाही तक गाड़ी में ही बैठे रहे तथा अन्य किसी से हाथ आदि नहीं मिलावे। तत्पश्चात् परिवादी रमेशपाल को आवश्यक हिदायत के साथ अपनी ऑल्टों गाड़ी से आगे–आगे आरोपी श्री सुरेश कुमार से रिश्वति राशि लेन देन हेतु रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस हमरा मौतबिरान एवं ब्यूरो जाब्ता के परिवादी के पीछे पीछे प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ। वक्त 06.15 पीएम पर परिवादी श्री रमेशपाल अपनी ऑल्टो कार से मानासर चौराहे से कलेक्ट्रेट कार्यालय नागौर को जाने वाली मुख्य सड़क पर सरस बूथ के पास पहुंच अपनी गाड़ी रोककर नीचे उतरा तथा हिदायतानुसार जिला परिषद की ओर पैदल रवाना हुआ तथा मन् निरीक्षक पुलिस, मौतबिरान एवं ब्यूरो जाब्ता ने अपने प्राईवेट वाहन को परिवादी की ऑल्टों कार से कुछ दूरी पर ही अन्य कारों के बीच में खड़ी कर अपनी अपनी पोजीशन ली एवं परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में व्यस्त हुऐं। वक्त 08.08 पीएम पर परिवादी श्री रमेशपाल ने मानासर से कलेक्टर कार्यालय नागौर जाने वाली रोड़ पर जिला परिषद के साईड में सरस बूथ के पास मुख्य मार्ग पर खड़ी स्कॉर्पियों गाड़ी नं आर.जे. 21 यू.सी. 0052 के पास खड़े होकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस हमरा उपरोक्त दोनों मौतबिरान एवं ब्यूरो जाब्ता के परिवादी के पास पहूंचा एवं गाड़ी को ब्यूरो जाब्ते द्वारा रूकवाया गया। परिवादी ने उक्त स्कॉर्पियों गाड़ी की फ्रंटलाईन सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक हैं जिन्होंने अभी–अभी मेरे से मांग कर रिश्वति राशि प्राप्त की है। इसी दरमियान स्कॉर्पियों गाड़ी के ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की मगर ब्यूरो जाब्ता से गाड़ी की चाबी निकलवाकर ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति को नीचे उतारा गया। तत्पश्चात् स्कॉर्पियो गाड़ी की फ्रंटलाईन सीट पर बैठे व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमरायान का परिचय देकर उस व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मगाराम जाति नायक उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी निवासी नारावली पुलिस थाना अनुपगढ़ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर होना बताया जिस पर उनसे परिवादी श्री रमेशपाल से प्राप्त की गई राशि के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने कोई राशि प्राप्त नहीं की है। जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री रमेशपाल ने आरोपी श्री सुरेश कुमार के उक्त कथनों का खण्डन करते हुऐं बताया कि अभी–अभी श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक ने ग्राम पंचायत पांचला सिद्धा पंचायत समिति खिंवसर जिला नागौर के नरेगा कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की ऐवज में तय की गई राशि 1,90,000/– रूपये मेरे से प्राप्त किये तथा स्वीकृति कमांक 10722 दिनांक 22.03.2022 के पृष्ठ संख्या 04 के पीछे अपने स्वंयकलमी पेन्सिल से 36.50 लिखकर बताया कि ग्राम पंचायत पांचला सिद्धा के विकास कार्यो के भेजे गये प्रस्तावों में से 36,50,000/– रूपये कार्यो की एवं 20 टांको की ही स्वीकृति हुई हैं। जिनकी ऐवज में मेरे व एक्सईएन श्री रमजान अली खां के एक–एक प्रतिशत के हिसाब से राशि 94,000/– रूपये ही बनते हैं जो राशि अपने पास रखते हुऐं शेष राशि अलग कर गाड़ी के सामने डैस बोर्ड पर रखी थी, जहां से आरोपी का सहयोगी व्यक्ति जो गाड़ी के पास ही खड़ा था, ब्यूरो टीम को देखकर डैस बोर्ड पर रखी राशि लेकर भाग गया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जाब्ते को भागे गये व्यक्ति की पतारसी करने की हिदायत कर स्कॉर्पियों गाड़ी की फंटलाईन सीट पर बैठे व्यक्ति को नीचे उतारा गया एवं पुनः परिवादी से प्राप्त रिश्वति राशि के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने ब्यूरो टीम को देखकर परिवादी से प्राप्त कर मेरे पास रखी राशि 94,000/– रूपये गाड़ी की फ्रंटलाईन सीट के आगे नीचे गिराये है, जो गाड़ी में ही फ्रंटलाईन सीट के आगे पड़े है तथा शेष राशि रमेशपाल को लौटाने के लिये मैंने गाड़ी के डैस बोर्ड पर

रखी जो राशि गाड़ी के ड्राईवर सीट पर बैठे विरेन्द्र सांगवा ने गाड़ी के पास खड़े अपने साथी पुनाराम को ईशारा करने पर पूनाराम उक्त राशि डैस बोर्ड से उठाकर भाग गया। इसी दरमियान उक्त स्थान आम रोड़ होने एवं जिला परिषद के पास मार्च माह होने के कारण सरपंचगणों आदि की भीड़ एकत्रित हो जाने एवं कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने की प्रबल संभावना होने के कारण शीघ्र गाड़ी का फ्रंटलाईन सीट की तरफ का गेट खोलकर देखा गया तो फ्रंटलाईन सीट के आगे गिराई हुई 500–500 रूपये की गड्डीयां पड़ी मिली जिन्हें गवाह श्री कानाराम से उक्त नोटों की गड्डियों को उठवाकर नोटों की गिनती करवाई गई तो 500–500 रूपये के 188 नोट कुल राशि 94,000/– रूपये होना पाये गये। जिस पर गवाह श्री मोहम्मद शाहिद को पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेशकशी देकर बरामदा रिश्वति राशि के नोटों के नंबरों का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नंबरों से करवाने पर फर्द पेशकशी के क्र.सं. 101 से 200 व 213 से 300 तक के नोटों के नंबरों के हुबहु होना पाये गये, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0RP 895703
2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0BE 319941
3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6LC 716478
4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7CF 490262
5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0HC 599404
6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5AT 529046
7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0RC 140589
8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5NA 512203
9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2UL 428398
10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2RE 817110
11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0TU 210901
12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1CS 302333
13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9AF 544634
14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8PA 643221
15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3PL 042960
16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0GR 680100
17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8QQ 997717
18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6KT 384080
19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BH 476407
20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0MM 753422
21. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8CS 060548
22. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3VW 170347
23. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6AQ 499046
24. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9KT 075911
25. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9VQ 123469
26. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9PR 834563
27. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3ET 309810
28. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7GT 965626
29. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2EU 696790
30. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8UA 019485
31. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1AT 485987
32. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2BB 503030
33. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7HC 454350
34. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3EK 079799
35. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4BF 234807

36. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9RA 099071
37. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4SU 058754
38. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AQ 515440
39. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2CL 941473
40. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2WN 159865
41. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1KL 043980
42. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1GR 437671
43. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1RD 264953
44. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BQ 570120
45. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2AG 618555
46. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9GR 048928
47. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4QM 104691
48. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5DT 988095
49. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9LQ 673712
50. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9AN 703493
51. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1FT 328233
52. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9MQ 351672
53. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1DC 431869
54. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7SF 276481
55. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4HB 996268
56. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1NU 591733
57. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1GU 932890
58. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4DC 398900
59. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2FC 129473
60. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9QE 180154
61. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3NF 365134
62. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3HV 556719
63. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0UP 793071
64. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2MC 620834
65. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6AU 874511
66. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6DD 375038
67. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1GQ 472175
68. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AP 359481
69. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3TG 818045
70. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0ND 997128
71. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BN 712151
72. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BN 712176
73. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BN 712177
74. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BN 712178
75. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BN 712179
76. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BN 712180
77. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BN 712152
78. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BN 712153
79. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BN 712154
80. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BN 712155

81. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0DD 971360
82. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2DM 376157
83. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4PD 870889
84. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7AM 464769
85. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3CB 082467
86. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3CB 034650
87. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7QK 453385
88. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7TP 832372
89. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6CV 789149
90. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7HD 358068
91. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1MW 250254
92. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1SW 458419
93. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4SP 652381
94. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9UF 093763
95. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BV 414503
96. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0AS 707802
97. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4RP 484168
98. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1FU 280864
99. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4CN 469365
100. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1AC 678521
101. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6TP 277721
102. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8UM 366344
103. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2ES 056406
104. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7UD 915214
105. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0CT 756394
106. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6MR 413446
107. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8KR 461832
108. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9AU 021984
109. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AE 947038
110. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3UD 035456
111. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9WB 904070
112. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7KW 824487
113. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7SM 446545
114. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3AB 215259
115. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0BM 680479
116. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7QD 699710
117. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7DQ 737661
118. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EW 995203
119. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EA 192157
120. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3QP 637829
121. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BP 927637
122. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7VA 488213
123. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1AR 591563
124. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6WM 481303
125. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1HW 566408

126.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1VN 722746
127.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2TG 773867
128.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8KL 224587
129.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2GS 446359
130.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5EU 897933
131.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BP 890990
132.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3CP 053128
133.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7PN 761479
134.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4GS 913930
135.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EW 771494
136.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3HV 970600
137.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0WQ 024188
138.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2BA 073193
139.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2GG 141820
140.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3AH 655018
141.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5EP 857853
142.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2QT 489697
143.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5FV 342564
144.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3RT 019913
145.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EG 929817
146.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7KV 260356
147.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9NV 912187
148.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EV 476632
149.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7RP 414944
150.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4BK 194293
151.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3PD 764525
152.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1PT 161954
153.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0EG 331512
154.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7MK 883524
155.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2DK 271616
156.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6HE 953666
157.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8UR 991069
158.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4UE 500183
159.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0TU 908024
160.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2HA 023255
161.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1AF 996614
162.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8QD 814477
163.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8UM 029962
164.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1CM 573895
165.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7EU 777243
166.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9NV 233343
167.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7NB 959687
168.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6PV 172243
169.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3FE 705869
170.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2CU 915697

171.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0RW 561539
172.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2RL 088910
173.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4AH 484142
174.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HS 931149
175.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1BP 262097
176.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0DS 587186
177.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3CF 182677
178.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2WK 665489
179.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1RT 851647
180.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7FC 342807
181.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6QP 700807
182.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1MR 093123
183.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5EE 245727
184.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3KS 804373
185.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MS 027796
186.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9KU 740942
187.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8PF 974757
188.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6KV 106390

उक्त बरामदा रिश्वति राशि को गवाह श्री कानाराम को आवश्यक हिदायत के साथ अपने पास रखने हेतु संभलाये गये। तत्पश्चात् मौके की नजाकत को देखते हुऐं अग्रिम कार्यवाही श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस थाना कोतवाली नागौर में करने का निर्णय लेकर श्री सुरेश कुमार के दोनों हाथ सुरक्षा की दृष्टि से ब्यूरो जाब्ता से पकड़वाकर ब्यूरों के वाहन में बिठाकर तथा उक्त स्कॉर्पियों गाड़ी को श्री विरेन्द्र सांगवा से ही ब्यूरो जाब्ता के साथ आगे आगे कोतवाली के लिये रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के पुलिस थाना कोतवाली नागौर के लिये रवाना हुऐ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रिश्वति राशि लेकर भागे हुऐ व्यक्ति की पतारसी में व्यस्त हुऐं। मन् निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान एवं दस्तयाबी मुल्जिमानों के पुलिस थाना कोतवाली पहुंचे जहां पर स्कॉर्पियों गाड़ी को लॉक करवाकर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर दस्तयाबी मुल्जिमान श्री सुरेश कुमार व श्री विरेन्द्र सांगवा को साथ लेकर समस्त हमरायान के थाना परिसर कोतवाली पहुंचकर थानाधिकारी से अग्रिम कार्यवाही की स्वीकृति लेकर पुलिस थाने के अनुसंधान कक्ष में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं आरोपी सुरेश कुमार से पूछा गया कि परिवादी रमेशपाल से प्राप्त की गई उपरोक्त रिश्वति राशि में किन– किन अधिकारियों का हिस्सा है जिस पर श्री सुरेश कुमार ने बताया कि उक्त रिश्वत राशि में मेरा व अधिशाषी अभियंता श्री रमजान अली खां व श्री रामनिवास कापड़ी परियोजना अधिकारी (लेखा) का हिस्सा है। जिस पर आरोपी श्री सुरेश कुमार के मोबाईल नं 8107078777 से अधिशाषी अभियंता श्री रमजान अली खां के मोबाईल नं 9414586145 पर मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर हिस्सा राशि के बारे में वार्ता कराने का प्रयास किया गया मगर अधिशाषी अभियन्ता को मोबाईल फोन स्वीच ऑफ होने के कारण वार्ता नहीं हो सकी। इसी प्रकार परिवादी के मोबाईल नं 8107078777 से श्री रामनिवास कापड़ी के मोबाईल नं 9414398724 पर मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर हिस्सा राशि के बारे में वार्ता कराने का प्रयास किया गया मगर श्री रामनिवास कापड़ी परियोजना अधिकारी (लेखा) का मोबाईल फोन ऑउट ऑफ नेटवर्क होने के कारण वार्ता नहीं हो सकी। तत्पश्चात् आरोपी श्री सुरेश कुमार से उक्त बरामदा रिश्वति राशि में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर का हिस्सा होने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री सुरेश कुमार द्वारा उक्त राशि में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कोई राशि नहीं होना बताया। जिस पर ब्यूरो चौकी नागौर प्रभारी श्री मोहनसिंह निरीक्षक पुलिस को जरिये फोन आरोपी श्री सुरेश कुमार के रहवासीय मकान की खाना तलाशी लेने एवं ब्यूरो जाब्ता से श्री रमजान अली खां अधिशाषी अभियंता एवं परियोजना अधिकारी (लेखा) श्री रामनिवास कापड़ी जिला परिषद नागौर की पतारसी कर पुलिस थाना कोतवाली वास्ते

पूछताछ भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् गाड़ी से ट्रैप बॉक्स मंगवाकर दो साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुरेश कुमार के दांये हाथ के अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी घोल को दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर मॉर्क आर एच 1 व आर एच 2 अंकित किया गया एवं चस्पों पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरी गिलास में तैयार सोडियम कार्बोनेट के रंगहीन घोल में आरोपी श्री सुरेश कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी घोल को दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर मॉर्क एल एच 1 व एल एच 2 अंकित किया गया एवं चस्पों पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपी श्री सुरेश कुमार के सहयोगी श्री विरेन्द्र सांगवा का पूर्ण परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री विरेन्द्र सांगवा पुत्र श्री रामकिशोर सांगवा जाति जाट उम्र 24 वर्ष, पैशा खेती, निवासी गांव – तरनाउ, तहसील जायल, जिला नागौर होना बताया तथा पूछने पर बताया कि मेरे नानाजी श्री दुर्गारामजी ग्राम पंचायत सनावड़ा, पंचायत समिति मकराना जिला नागौर के सरपंच है इसलिये मेरा जिला परिषद नागौर में काम पड़ता रहता है इसलिये मैं श्री सुरेश कुमार को जानता हूं। जिस पर श्री विरेन्द्र सांगवा से पास ही उपस्थित परिवादी को पहचानने तथा उनसे कोई राशि प्राप्त करने या श्री सुरेश कुमार द्वारा राशि प्राप्त करने पर उक्त राशि में से कुछ राशि किसी अपने बंदे को ईशारा / कहकर राशि लेकर भगाने के क्रम में पूछा गया तो श्री विरेन्द्र सांगवा चुप रहा तथा तसल्ली देने पर बताया की मैंने ब्यूरो की टीम को देखकर हड़बड़ाहट में मेरी स्कॉर्पियों गाड़ी के डैस बोर्ड पर रखी राशि श्री सुरेश कुमार के कहने पर मेरे गाड़ी के बाहर खड़े मेरे मित्र श्री पूनाराम पुत्र श्री मोहनराम जाति जाट, निवासी मांझी पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर को ईशारा करने पर श्री पूनाराम उक्त राशि को गाड़ी के डैस बोर्ड से उठाकर भाग गया जो मैंने सुरेश कुमार के कहने एवं हड़बड़ाहट के कारण किया है। श्री विरेन्द्र सांगवा को सुरेश कुमार द्वारा परिवादी श्री रमेशपाल से प्राप्त की गई राशि किस बात ही है तो श्री विरेन्द्र ने अनभिज्ञता जाहिर की। जिस पर श्री विरेन्द्र सांगवा से उनके मित्र पूनाराम के हुलिये के बारे में जानकारी प्राप्त कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नागौर इंचार्ज को रूबरू व रिश्वत राशि लेकर भागे व्यक्ति के हल्का पुलिस थाना डेगाना को जरिये फोन मुल्जिम का हुलिया बताकर पतारसी में इमदाद करने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक द्वारा एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद उपस्थित जाब्ते को कार्यवाही के लिये गये प्रादर्शो को सुरक्षार्थ संभलाया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त रंगहीन घोल की गिलास को साथ लेकर हमरा दोनों स्वतंत्र गवाहान, श्री सोहनलाल कानि व दोनों मुल्जिमान को साथ लेकर थाने परिसर में खड़ी लॉकशुदा स्कॉर्पियों गाड़ी नं आर.जे. 21 यू.सी. 0052 के पास पहुंचा तथा लॉक खोलकर स्कॉर्पियों गाड़ी की फ्रंट सीट के आगे पड़ी रिश्वति राशि को जहां से बरामद किया गया उक्त स्थान एवं डैस बोर्ड पर रखी शेष रिश्वति राशि जो आरोपी का सहयोगी अन्य व्यक्ति लेकर भाग गया था पर एक सफेद साफ कपड़े की चिन्दी को बार–बार रगड़कर तैयार रंगहीन सोडियम कॉर्बोनेट घोल की डिस्पोजल गिलास में डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी घोल को साथ लाये दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरकर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर मॉर्क जी 1 व जी 2 अंकित किया गया एवं चस्पों पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् बरामदा रिश्वति राशि जो आवश्यक हिदायत के साथ गवाह श्री कानाराम के पास सुरक्षित रखवाई गई है के नोटों का पुनः मिलान गवाह श्री मोहम्मद शाहिद को फर्द पेशकशी देकर उसमें अंकित नोटों से करवाया गया तो बरामद रिश्वति राशि के नोटों के नंबर फर्द पेशकशी में अंकित उपरोक्त क्र.सं. 101 से 200 व 213 से 300 तक के नोटों के नंबरों के हुबहु होना पाये गये। उक्त बरामदा

रिश्वति राशि को एक कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली को सील्ड मोहर किया गया। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद बरामदगी स्थल गाड़ी के फ्रंटलाईन सीट के आगे नीचे के भाग व डैस बोर्ड के धोवन में प्रयुक्त की गई कपड़े की चिन्दी को सुखाकर कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपी श्री सुरेश कुमार के रहवासीय किराये के मकान की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने तथा मकान में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज, राशि आदि खुर्द बुर्द होने की संभावना होने के कारण श्री मोहनसिंह निरीक्षक पुलिस मय साथ लाये दोनों स्वतंत्र गवाहान के हमराह जाब्ता के दस्तयाबशुदा मुल्जिम श्री सुरेश कुमार को साथ भेजकर सुरेश कुमार के रहवासीय मकान की खाना तलाशी ली जाने हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री सुरेश कुमार के रहवासीय किराये के मकान की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने तथा मकान में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज, राशि आदि खुर्द बुर्द होने की संभावना होने के कारण श्री मोहनसिंह निरीक्षक पुलिस मय साथ लाये दोनों स्वतंत्र गवाहान के हमराह जाब्ता के दस्तयाबशुदा मुल्जिम श्री सुरेश कुमार को साथ भेजकर सुरेश कुमार के रहवासीय मकान की खाना तलाशी ली जाने हेतु रवाना किया गया एवं मन् निरीक्षक पुलिस सहआरोपी श्री विरेन्द्र सांगवा से उनके द्वारा अपने व्यक्ति (बंदे) को भगाया जाने एवं उनके मिलने के संभावित स्थानों के बारे में आवश्यक पूछताछ एवं जानकारी लेना प्रारंभ की गई। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री रमेशपाल एवं आरोपी श्री सुरेश कुमार में मध्य वक्त रिश्वति राशि लेनदेन हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के शब्द व शब्द सुन सुनकर समझ समझकर फर्द ट्रान्सिक्रिप्ट रिश्वति राशि लेनदेन मुर्तिब की गई एवं उक्त रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार की गई 01 सीडी को मूल मानते हुऐं कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं थैली पर मन् निरीक्षक ने अपने हस्ताक्षर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं डब सीडी को खुली हालत में रखा गया। शिल्डशुदा मूल सीडी व डब सीडी को मालखाना प्रभारी श्री सोहनलाल से ट्रेप बॉक्स में रखवाकर सुरक्षित संभलाई गई। श्री मोहनसिंह निरीक्षक पुलिस हमरा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों जाब्ता के बाद आरोपी श्री सुरेश कुमार के रहवासीय मकान की बाद खाना तलाशी के उपस्थित आये तथा खाना तलाशी रहवासीय मकान संजय कॉलोनी, नागौर की फर्द एवं फर्दानुसार राशि व अन्य राशि एवं दस्तावेज मन् निरीक्षक पुलिस सीताराम को सुपुर्द किये। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने आरोपीगणों को एवं समस्त प्रादर्श को ब्यूरो जाब्ता की निगरानी में संभलाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री रमेशपाल को साथ लेकर मानासर से कलेक्टर कार्यालय नागौर जाने वाली रोड़ पर जिला परिषद के साईड में सरस बूथ के पास मुख्य मार्ग पर पहुंच कर परिवादी श्री रमेशपाल की निशादेही पर रूबरू मौतबिरान घटनास्थल नक्शा मौका का निरीक्षण कर फर्द घटना नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब किया गया एवं मौके की कार्यवाही के पुलिस थाना कोतवाली पहुंचे। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस हमराह मौतबिरान एवं आरोपी श्री सुरेश कुमार को साथ लेकर जिला परिषद नागौर में स्थित श्री सुरेश कुमार के कार्यालय कक्ष की तलाशी लेने हेतु रवाना होकर जिला परिषद नागौर में स्थित उक्त कार्यालय कक्ष में पहुंचा एवं आरोपी एवं मौतबिरान की उपस्थिति में खाना तलाशी ली गई। खाना तलाशी के दौरान आरोपी सुरेश कुमार ने अपनी टेबल पर रखी फाईल में से प्रकरण से संबंधित पैण्डिंग कार्यो की वित्तिय स्वीकृतियां सुपुर्द की, उक्त कार्यवाही की फर्द खाना तलाशी कार्यालय कक्ष मुर्तिब की गई साथ ही रूबरू मौतबिरान सहआरोपी श्री विरेन्द्र सांगवा की उपस्थिति में स्कॉर्पियों गाड़ी नं आर.जे. 21 यू.सी. 0052 की खाना तलाशी ली गई। शामिल रनिंग नोट की गई। तत्पश्चात् जरिये पृथक पृथक फर्दात के आरोपी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मगाराम जाति नायक उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी निवासी नारावली पुलिस थाना अनुपगढ़ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर व सहआरोपी श्री विरेन्द्र सांगवा पुत्र श्री रामकिशोर सांगवा जाति जाट उम्र 24 वर्ष, पैशा खेती, निवासी गांव – तरनाउ, तहसील जायल, जिला नागौर को उनके द्वारा किये गये जूर्म से आगाह कर गिरफतार किये गये। इस समय तलबीदाशुदा श्री रामनिवास कापड़ी पुत्र श्री रमजीराम कापड़ी जाति जाट उम्र 59 साल पैशा सरकारी नौकरी निवासी कापड़ीवास पुलिस थाना मेड़तारोड़ जिला नागौर हाल परियोजना अधिकारी लेखा, जिला परिषद नागौर उपस्थित आये जिनसे प्रकरण में सहभागिता के

क्रम में विस्तृत पूछताछ कर स्पष्टीकरण लिया गया तथा श्री रमजान अली खां एक्सईएन की प्रकरण में संलिप्तता बाबत् स्पष्टीकरण लेने हेतु बार बार तलबी की गई एवं सीओ कार्यालय में पतारसी करने पर ज्ञात हुआ की श्री खां एक दिन के आकस्मिक अवकाश पर है जिससे उनसे स्पष्टीकरण नहीं लिया जा सका।

इस पर दिनांक 23.03.2022 को आरोपी श्री सुरेश कुमार के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने पर स्वंतत्र गवाहान के रूबरू आरोपी श्री सुरेश कुमार द्वारा तय की गई रिश्वति राशि 1,90,000 रूपये प्राप्त कर ग्राम पांचला सिद्धा के पैण्डिंग प्रस्तावों के 36,50,000/– रूपये के कार्यो की ही वित्तिय स्वीकृतियां जारी होने के कारण उक्त राशि का दो प्रतिशत के हिसाब से 94,000/– रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना जो राशि सुरेश कुमार द्वारा ब्यूरो को देखकर स्कॉर्पियों गाड़ी में बैठे फ्रंटलाईन सीट के आगे गिराना जहां से बरामद होना तथा शेष राशि 96,000/– रूपये अलग कर गाड़ी के डैस बोर्ड पर रखना जो राशि सहआरोपी श्री विरेन्द्र सांगवा द्वारा षड्यंत्रपूर्वक श्री सुरेश कुमार के ईशारे पर अपने बंदे पूनाराम उर्फ पुनित को लेकर भागने का कहने पर उक्त व्यक्ति द्वारा डैस बोर्ड से उक्त राशि उठाकर भाग जाना जिनकी पतारसी के भरसक प्रयास करने के बावजूद नहीं मिलना आदि आरोपीगणों का कृत्य आपसी षड्यंत्र रचकर आरोपी श्री सुरेश कुमार द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐं जायज कार्य की ऐवज में परिवादी श्री रमेशपाल से रिश्वति राशि प्राप्त करने पर उक्त रिश्वति राशि ब्यूरो द्वारा बरामद की जाकर आरोपी श्री सुरेश कुमार व सहआरोपी श्री विरेन्द्र सांगवा को गिरफतार किया गया एवं सहआरोपी श्री पूनाराम उर्फ पुनित चौधरी वक्त वाका से रिश्वति राशि लेकर भाग जाने के कारण फरार है। जिसकी हल्का थाना डेगाना से सकूनत तस्दीक रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार श्री पूनाराम पुत्र श्री मोहनराम जाति जाट, निवासी मांझी पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर होना ज्ञात हुआ। इस प्रकार अब तक की समस्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान आये समस्त तथ्यों से ज्ञात आया है कि श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक तथा उनके सहयोगी सहआरोपी श्री विरेन्द्र सांगवा व पूनाराम उर्फ पुनित जिला नागौर की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिये जिला परिषद के श्री सुरेश कुमार व अन्य अधिकारियों के लिये शातिराना रूप एवं चालाकी से दलाली कर संगठित भ्रष्टाचार करने में लिप्त है। अतः आरोपी श्री सुरेश कुमार व सहआरोपी श्री विरेन्द्र सांगवा व पूनाराम उर्फ पुनित व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस का जुर्म कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं।

अतः आरोपी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मगाराम जाति नायक उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी निवासी नारावली पुलिस थाना अनुपगढ़ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर व सहआरोपी श्री विरेन्द्र सांगवा पुत्र श्री रामकिशोर सांगवा जाति जाट उम्र 24 वर्ष, पैशा खेती, निवासी गांव–तरनाउ, तहसील जायल, जिला नागौर, श्री पूनाराम पुत्र श्री मोहनराम जाति जाट, निवासी मांझी पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय,

(सीताराम)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सीताराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सुरेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर, 2. श्री विरेन्द्र सांगवा पुत्र श्री रामकिशोर सांगवा, निवासी गांव-तरनाउ, तहसील जायल, जिला नागौर 3. श्री पूनाराम पुत्र श्री मोहनराम निवासी मांझी, पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर व अन्य के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 97/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 858-62 दिनांक 24.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय।

24.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।